Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, OCT-NOV, 2019, VOL- 7/36

बी०एड० प्रशिक्षणार्थीयों का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के परिपेक्ष्य में अध्ययन

डॉ० गीता खंडूड़ी[1], अनूप कुमार सिंह[2] & तनुजा[3]

[1] *प्रोफेसर, शिक्षा विभाग (बिड़ला परिसर), हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर–गढ़वाल, उत्तराखण्ड*

[2] *पी०एच०डी० शोधार्थी, शिक्षा विभाग (बिड़ला परिसर), हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर–गढ़वाल, उत्तराखण्ड, ईमेल– anoop.281190@gmail.com*

[3] *तनुजा, एम0एड0 शोधार्थिनी, शिक्षा विभाग (बिड़ला परिसर), हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर–गढ़वाल, उत्तराखण्ड*

Abstract

मानवाधिकार वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्र आदि भावनाओं से आगे है। वे अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, मानवाधिकार गरिमा एवं स्वतंन्त्रता का निरूपण कर मनुष्य के शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, और भौतिक कल्याण में सहायक होते है। मानवाधिकारो के अध्ययन के लिए शोधकर्ता ने बी०एड० प्रशिक्षणार्थियों में योग्यता, क्षेत्र एवं परिवारिक स्थिति के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन का निर्धारिण किया। जिसमें शोधकर्ता ने वर्णनात्मक अनुसंधान (सर्वेक्षण) विधि का प्रयोग कर जनसंख्या के लिए उत्तराखण्ड में स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), के बिड़ला परिसर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत बी०एड० प्रशिक्षणार्थीयों को निर्धारित किया। न्यादर्श के लिए साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग 50 छात्र 50 छात्राओं का चयन किया गया है। डॉ विशाल सूद तथा डॉ आरती आनन्द द्वारा निर्मित मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण द्वारा आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषण के लिए विवरणात्मक एवं आनुमानित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया। निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ कि, योग्यता, क्षेत्र एवं परिवारिक स्थिति के आधार पर बी०एड० प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता कोई अन्तर नही पाया गया।

प्रमुख शब्दावली *– बी०एड० प्रशिक्षणार्थी, मानवाधिकार एवं जागरूकता।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है, इसी कारण मानव को कुछ ऐसे आधारभूत अधिकार प्राप्त होते है, जिसे सामान्यतया मानवाधिकार या मानव का अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते है, चाहे उनका मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्र कुछ भी हो। मानव की गरिमा एवं स्वतंन्त्रता के अनुरूप है तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, और भौतिक कल्याण में सहायक होते है। इन अधिकारों के बिना कोई भी मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सब

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परिस्थितियों व पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व के विकास तथा निमाण के लिए अनिवार्य होतो है। भारतीय ससंद द्वारा पारित मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम 1993 (अधिनियम सख्या 10, 1994 वर्ष) की धारा–2 (घ) के अनुसार "मानवाधिकार स तात्पर्य सविंधान द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित व्यक्तियों के प्राण, स्वतन्त्रता ऐसे अधिकारों से है, जो भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है" मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घाषणा 10 दिसम्बर सन् 1948 में की गई। सार्वभौमिक घोषणा के अर्न्तगत यदि देश की परिधि में रहने वाले व्यक्तियो पर उक्त देश द्वारा किसी प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं, तो निश्चय ही उस अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने हेतु अन्य शक्तिशाली देशों द्वारा उस देश की आन्तरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है, तथा वहां के नागरिको को अत्याचारी शासन से मुक्ति प्रदान की जा सकती है।

समस्या की उत्पत्ति

वर्तमान समय में सूचना और संचार तकनीकी द्वारा व्यक्तियों के विचार, सचंतेना, जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, जीवन दर्शन, राजनैतिक, सामाजिक जीवन आदि को प्रभावित करती है। वही दूसरी ओर राजनैतिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र की स्वतंन्त्रता प्रदान करती है। सूचना क्रान्ति के द्वारा वैश्वीकरण के अस्तित्व में आने के बाद एक देश का दूसर देश के मानव विकासीय स्वरूप पर गहरा प्रभाव पडा। मानवीय विकास को महत्व देते हुए मानवाधिकार को शिक्षा मे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मानवाधिकार शिक्षा सवंर्द्धन का ध्यान में रखत हुयें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विगत कई वर्षो मे शिक्षा विभाग, मानव ससांधन विकास मंन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसधांन एवं सुरक्षा परिषद तथा एन० सी० टी० ई० के साथ काम कर रहा है। किन्तु अभी भी मानवाधिकारों को एक अनिवार्य अगं के रूप में पाठ्यचर्या मे शामिल नही किया गया है। युवा वर्ग जो देश का भविष्य है का मानवाधिकार की ज्यादा जानकारी मात्र दूर सचांर, मीडिया, न्यूज पेपर, पत्र–पत्रिकाओं द्वारा ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय मे मानवाधिकार हनन की घटनाओं को देखते हुए शाधकर्ता के मन मे बी०एड० विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्तियां को जानने की जिज्ञासा हुई।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोधकर्ता के मन में बी०एड० विद्यार्थी जा स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वे सम्भवतः आगे चलकर विद्याथियों के व्यक्तित्व का स्वयं के व्यक्तित्व से प्रभावित करेग।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

ह्यूज (2018) ने अपने शोध ''आइडेन्टीफाई रूट्स टू रेमिडी फॉर वायलेशन ऑफ इकोनामिक सोशल एण्ड कल्चरल राइट'' पर अध्ययन कर यह पाया गया कि, स्काटलैण्ड में अधिकारी के संरक्षण हेतु वैधानिक नियमों की कमी है, जिससे मानवीय वस्तुस्थिति में अन्य देशों से अन्तर है। **सोलंकी (2017)** ने अपने शोध, बी०एड० व बी०एस०टी०सी० प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, बी०एड० व बी०एस०टी०सी० के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना। शोध अध्ययन मे न्यादर्श के रूप मं 2 शिक्षा महाविद्यालयों के 50 बी०एड० एवं 50 बी०एस०टी०सी० के प्रशिक्षणार्थियो का चयन किया। शोध के अध्ययन पर दोना में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। **सिंह, आर० एच०, पन्त, पी० एवं लोहानी, एस० (2016)** ने अपने शोध, मानवाधिकार शिक्षा और वैश्वीकरण, के आधार पर पाया कि आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है और विज्ञान के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र अपना विकास करना चाहता है। वर्तमान में मानव अधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है कोई भी राष्ट्र मानव अधिकारों के प्रति सरोकार से अछुता नहीं है। मानव अधिकारों से जुड़े विमर्श में एक और संदर्भ को लेना अनुचित नहीं होगा जो वैश्वीकरण और अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य स जुड़ा है। राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को इस विचार से जुड़े विभिन्न पक्षों ने प्रभावित किया है, जिसमें एक ओर सूचना क्रान्ति राज्य के आचरण से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक देश ज्ञान–विज्ञान की उन्नति के साथ–साथ अपने नागरिकों की उन्नति भी करना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र में अपने नागरिकों को सुविधायें प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया है। **भण्डारी (2009),** ने 'गर्ल चाइल्ड अब्यूज इन द कन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड प्रिवेंशन, एज्यूकेशन एण्ड रिहेबिलिटेशनः ए स्टेडी इन अमरावती स्लम', उक्त अध्ययन कार्य में अमरावती की कच्ची बस्तीयों में रहने वाले बालक–बालिकाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया तथा पाया कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए, उन्हें उचित एवं पर्याप्त शिक्षा मिले ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

गुप्ता, (2007), ने अपने शोध 'ए स्टेडी ऑफ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजूकेशन एण्ड मेजर्स टू प्रमोट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स',पर कार्य किया, तथा निष्कर्ष के रूप में यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान में मानवाधिकारों के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। **मूयिला, (2006)** ने अपने शोध 'अफ्रीकन वैल्यूज एण्ड द प्राबलम ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्डः ए सर्च फॉर एक्सप्लेनेशन्स', में अफ्रीका की महान सभ्यता और मूल्यों में समय के साथ एवं पश्चिमी परिवेश के प्रभाव के कारण गिरावट आ रही है। बच्चों को उनके सुरक्षित विकास हेतु अवसर नहीं दिये जा रहे हैं। अशिक्षा, गरीबी, बाल–विवाह, मजदूरी एवं विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाला दण्ड उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को बाधित करते हैं एवं उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित होने से रोकते हैं।

शोध उद्देश्य

- बी०एड० प्रशिक्षणार्थियों में आयु, योग्यता, क्षेत्र एवं परिवारिक स्थिति के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनायें

- बी०एड० में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का योग्यता, परिवार की स्थिति एवं क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध पविधि

प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक अनुसंधान (सर्वेक्षण) विधि के द्वारा किया गया है। जनसंख्या के लिए उत्तराखण्ड राज्य मे स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), के बिड़ला परिसर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत बी०एड० प्रशिक्षणार्थीयों को निर्धारित किया। न्यादर्श के लिए साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग 50 छात्र 50 छात्राओं का चयन किया गया है। डॉ विशाल सूद तथा डॉ आरती आनन्द द्वारा निर्मित मानवाधिकार जागरूकता परीक्षण द्वारा आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा टी परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रदत्तों का सांख्यिकीकरण एवं विश्लेषण

वर्णानात्मक सांख्यिकी–

तालिका संख्या 1.0 विद्यार्थियों की योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों का विवरण।

लिंग	छात्र		छात्राऐं	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
स्नातक	45	90%	34	68%
परास्नातक	5	10%	16	32%
कुल	**50**	**100%**	**50**	**100%**

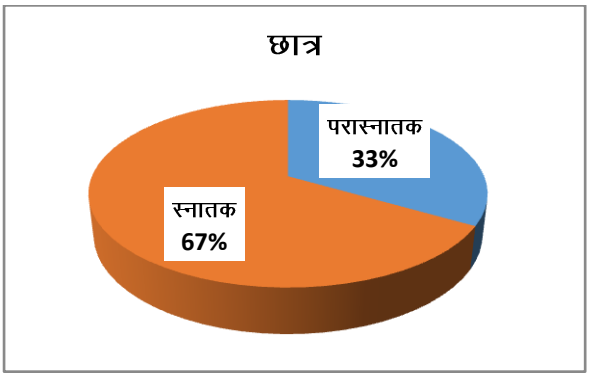

आरेख संख्या 1.0 योग्यता के आधार पर छात्र।

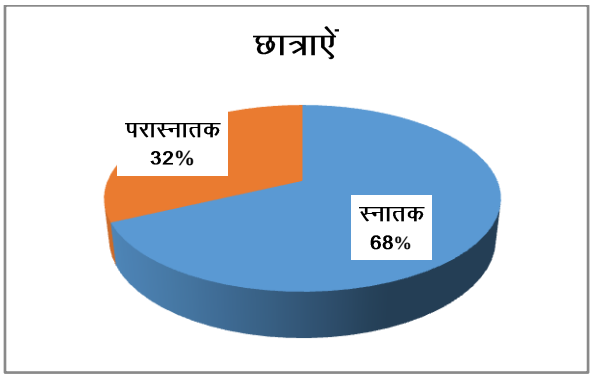

आरेख संख्या 2.0 योग्यता के आधार पर छात्राऐं।

तालिका 1.0 आरेख 1.0 एवं 2.0 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि मानवाधिकार जागरूकता के परिपेक्ष्य में स्नातक स्तर के 45 (90 प्रतिशत) तथा स्नातकोत्तर स्तर के 5 (10 प्रतिशत) छात्र सम्मलित हुए। स्नातक स्तर के 34 (68 प्रतिशत) तथा स्नातकोत्तर स्तर के 16 (32 प्रतिशत) छात्रायें सम्मिलित हुए।

तालिका संख्या 2.0 योग्यता के आधार पर मानवाधिकार जागरूकता स्तर।

लिंग	स्नातक		परास्नातक	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
निम्न	29	37%	10	57%
मध्यम	20	25.3%	7	27%
उच्च	30	38%	4	16%
कुल	**79**	**100%**	**21**	**100%**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

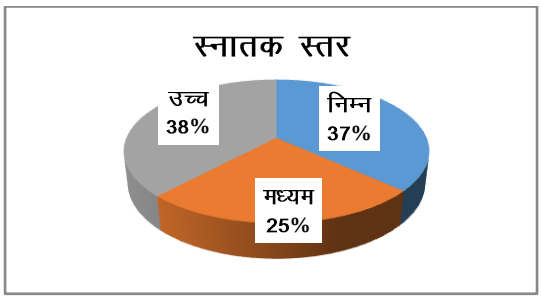

आरेख संख्या 3.0 स्नातक स्तरीय बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियोंमें मानवाधिकार जागरूकता का स्तर

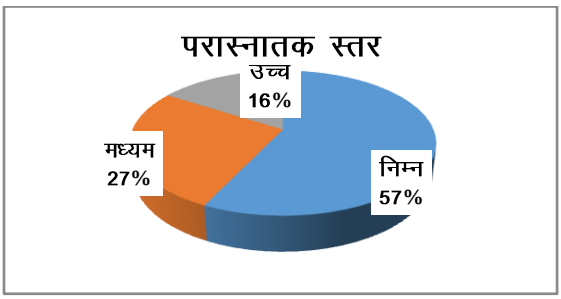

आरेख संख्या 4.0 परास्नातक स्तरीय बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियोंमें मानवाधिकार जागरूकता का स्तर

तालिका 2.0, आरेख 3.0 एवं 4.0 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है, कि योग्यता के आधार पर स्नातक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का सर्वाधिक स्तर 30 (38 प्रतिशत) मध्यम स्तर के 20 (25.3 प्रतिशत) तथा निम्न स्तर में 29 (36.7 प्रतिशत) स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का सर्वाधिक स्तर 4 (19 प्रतिशत) मध्यम स्तर के 7 (33.3 प्रतिशत) निम्न स्तर के 10 (47.6 प्रतिशत) प्रशिक्षणार्थी पाये गये।

तालिका संख्या 3.0 परिवारिक स्थिति के आधार पर विवरण।

मानवाधिकार जागरूकता का स्तर	संयुक्त परिवार		एकल परिवार	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
निम्न	19	31.7%	20	50%
मध्यम	18	30%	9	22.5%
उच्च	23	38%	11	27.5%
कुल	**60**	**100%**	**40**	**100%**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

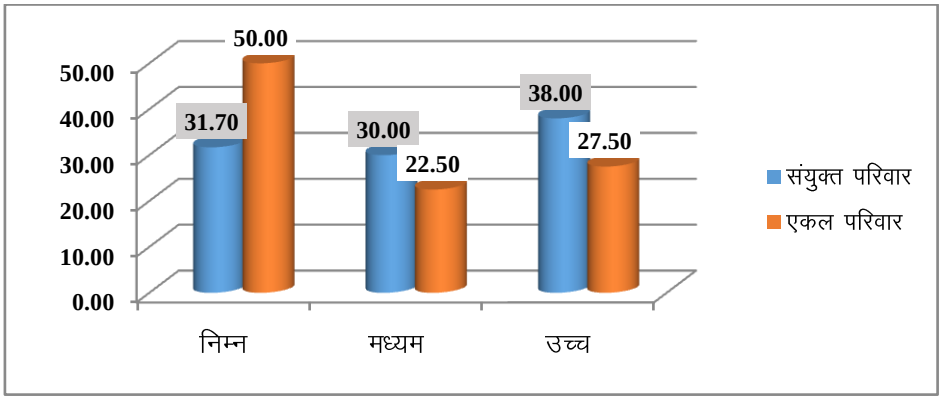

आरेख संख्या 5.0 परिवारों की स्थिति के आधार पर मानवाधिकार जागरूकता का स्तर।

तालिका 3.0 एवं आरेख 5.0 से ज्ञात होता है, कि पारिवारिक स्थिति के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का सर्वाधिक स्तर 23 (38.3 प्रतिशत) मध्यम स्तर के 18 (30 प्रतिशत) तथा निम्न स्तर में 19 (31.7 प्रतिशत) और एकल परिवार के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का सर्वाधिक स्तर 9 (22.5 प्रतिशत) तथा निम्न स्तर का 20 (50 प्रतिशत) पाये गये।

तालिका संख्या 4.0 विद्यार्थियों के आयु क आधार पर मानवाधिकार जागरूकता स्तर।

मानवाधिकार जागरूकता का स्तर	निम्न		मध्यम		उच्च	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
18 से 20	2	5.1%	2	7.4%	4	11.8%
21 से 22	15	38.5%	8	29.6%	11	32.4%
23 से 24	12	30.8%	9	33.3%	8	23.5%
25 से 26	6	15.4%	6	22.2%	8	23.5%
27 से 30	4	10.3%	2	7.4%	3	8.8%
कुल	**39**	**100%**	**27**	**100%**	**34**	**100%**

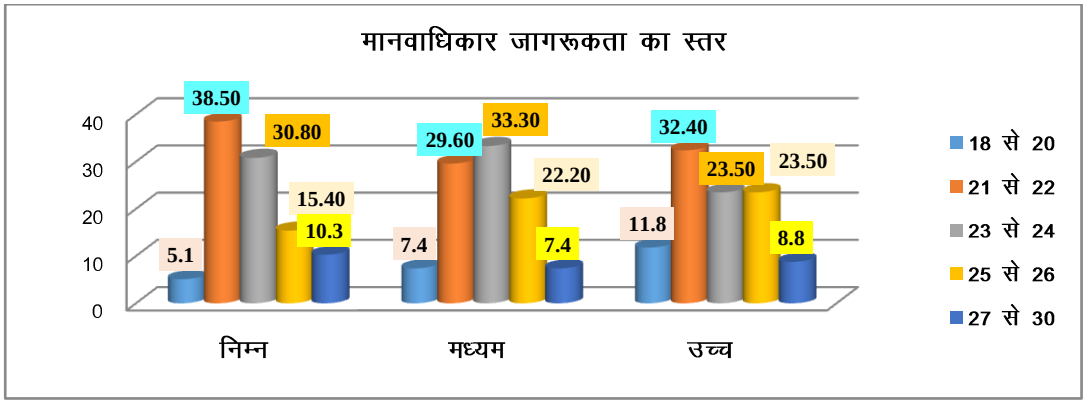

आरेख संख्या 6.0 आयु वर्ग के आधार पर मानवाधिकार जागरूकता का स्तर।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका संख्या 4.0 एवं आरेख 6.0 के अवलोकन से ज्ञात हुआ है, कि 18 से 20 वर्ष के विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता का सर्वाधिक स्तर 4 (11.8 प्रतिशत), 21 से 22 वर्ष के विद्यार्थियों सर्वाधिक स्तर में 11 (32.4 प्रतिशत), 23 से 24 वर्ष के विद्यार्थियों में सर्वाधिक स्तर में 8 (23.5 प्रतिशत), 25 से 26 वर्ष के विद्यार्थियों में सर्वाधिक स्तर में 8 (23.5 प्रतिशत), 217 से 30 वर्ष के विद्यार्थियों में सर्वाधिक स्तर में 3 (8.8 प्रतिशत) विद्यार्थी पाये गये।

तालिका संख्या 5.0 बी०एड० प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का योग्यता, परिवार एवं क्षेत्र के आधार पर विवरण।

योग्यता, परिवार, क्षेत्र	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रता स्तर	टी मान	पी मान	सार्थकता
स्नातक	72.05	10.02	98	0.566	0.75	असार्थक**
परास्नातक	73.38	6.63				
संयुक्त परिवार	77.28	7.82	98	0.552	0.59	असार्थक**
एकल परिवार	76.23	9.86				
ग्रामीण प्रशिक्षणार्थी	76.98	8.16	98	0.777	0.283	असार्थक**
शहरी प्रशिक्षणार्थी	76.33	10.92				

सार्थकता स्तर **0.05, *0.01

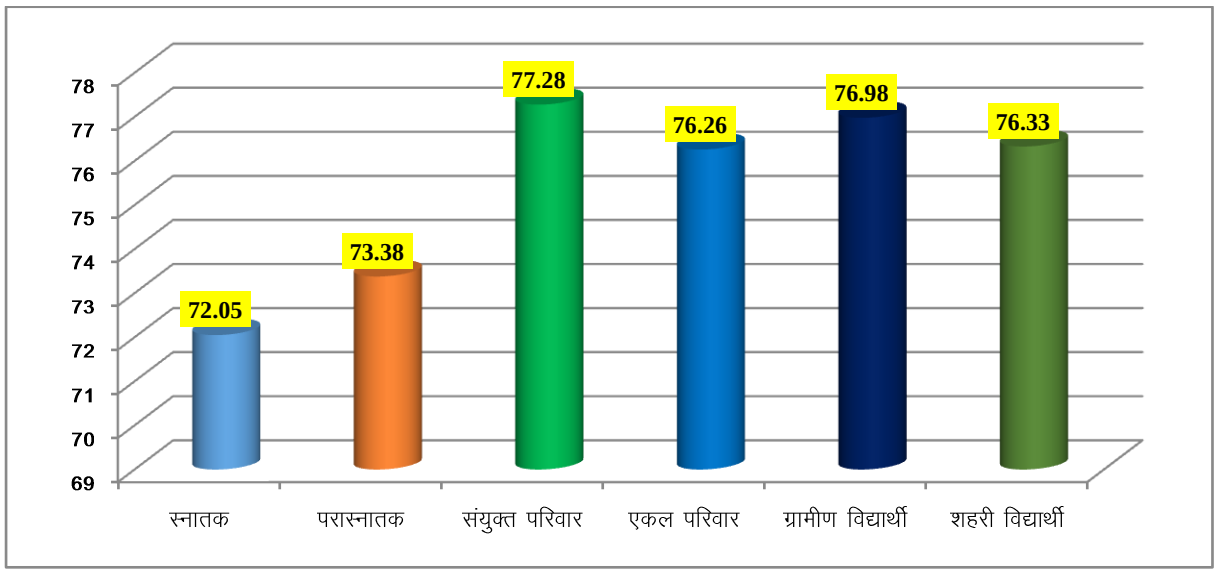

आरेख संख्या 7.0 योग्यता, परिवार एवं क्षेत्र के आधार पर विवरण।

तालिका 5.0 एवं आरेख 7.0 में बी०एड० स्तर के प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता, परिवार प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर प्राप्त मानवाधिकार जागरूकता सम्बन्धित आंकडों के मध्यमान एवं मानक विचलन को दर्शाया गया है। योग्यता के आधार पर स्नातक एवं

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परास्नातक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 72.05, 10.02 व 73.38, 6.63 पाया गया। प्राप्त टी का मान 0.566 एवं पी का मान 0.75 जो स्वतन्त्रता स्तर 98 के आधार पर सार्थकता स्तर 0.05 पर असार्थक पाया गया। पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकत की जाती है।

परिवार के प्रकार के आधार पर संयुक्त एवं एकल परिवार के प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 77.28, 7.82 व 76.23, 9. 86 पाया गया। प्राप्त टी का मान 0.552 एवं पी का मान 0.59 जो स्वतन्त्रता स्तर 98 के आधार पर साथकता स्तर 0.05 पर असार्थक पाया गया। पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 76.98, 8.16 व 76.33, 10.92 पाया गया। प्राप्त टी का मान 0.777 एवं पी का मान 0.283 जो स्वतन्त्रता स्तर 98 के आधार पर सार्थकता स्तर 0.05 पर असार्थक पाया गया। पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोध निष्कर्ष

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में परास्नातक विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक मानवाधिकार जागरूकता का प्रतिशत पाया गया। संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार के विद्यार्थियों अधिक मानवाधिकार जागरूकता का प्रतिशत अधिक पाया गया। 21 से 22 वर्ष के विद्यार्थियों में सर्वाधिक मानवाधिकार जागरूकता का स्तर पाया गया। स्नातक एवं परास्नातक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता समान रूप से है। संयुक्त परिवार तथा एकल परिवार के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता में कोई अन्तर नही है। ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता में समानता है।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति को उनके अधिकारों का ज्ञान एवं अवबोध कराया जा सकता है। मानवाधिकारों के ज्ञान होना मानव अस्तित्व को स्थायी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता एवं

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना मात्र से ही मानव के अपने अधिकारों और कर्तव्य को पूर्णरूप से निर्वाहित करने में शिक्षा एक अस्त्र के समान कार्य करता है। विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम निर्माताओं को नैतिक मूल्यों के साथ–साथ मानवीय एवं चारित्रिक मूल्यों को भी ध्यान में रख कर पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना चाहिए। जिससे सम्पूर्ण विश्व एक परिवार के तरह स्वतन्त्र रूप से अपना अस्तित्व बनाने में सक्षम हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, एस० ओ० के० (2014). मानव अधिकार, इलाहाबादः सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन।

कौल, एल० (2010). मेथेडोलॉजी ऑफ एडुकेशनल रिसर्च, दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस।

कपिल, एच० के० (2008). सांख्यिकी के मलू तत्व (सामाजिक विज्ञानों में), आगराः अग्रवाल प्रकाशन।

किशोर, आर० (1995). मानवाधिकारों का संघर्ष, नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन।

गुप्ता, (2007). ए स्टेडी ऑफ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजूकेशन एण्ड मेजर्स टू प्रमोट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।

जोशी, के० सी० (2017). अंतराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार, लखनऊः ईस्टर्न बुक कम्पनी।

डेविड, पी0 फा० (2006). ह्यूमन राइट इन इण्टरनेशनल रिलेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

तनेजा, डॉ० पी० (2001). मानव अधिकार और बाल शोषण, दिल्लीः साहित्य प्रकाशन।

बावेल, बी० एल० (2016). मानवाधिकार, इलाहाबादः सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन।

बायल, एण्ड ह्यूज (2018). आइडेन्टीफाई रूट्स टू रेमिडी फॉर वायलेशन ऑफ इकोनामिक सोशल एण्ड कल्चरल राइट, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ हियूमन राइट्स, वॉल्यूम–22(1), आई०एस०एस०न०न०:1364–2987, पृष्ठ सं. 43–69.

भण्डारी (2009). गर्ल चाइल्ड अब्यूज इन द कन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड प्रिवेंशन, एज्यूकेशन एण्ड रिहेबिलिटेशनः ए स्टेडी इन अमरावती स्लम, राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर।

मिश्रा, पी० के० एवं आर के० एम० (2002). ट्रेण्डस एण्ड इश्यूज इन इण्डियन एजुकेशन, मेरठः लायल बुक डिपों।

मूयिला, (2006). अफ्रीकन वैल्यूज एण्ड द प्रोबलम ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्डः ए सर्च फॉर एक्सप्लेनेशन्स, डेनिश इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, डेनमार्क।

यागी, जी० एस० दास० (2013). भारत में शिक्षा का विकास. आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

वधवा, भी० एस० (2011). शिक्षा में अनुसंधान तथा सांख्यिकी, पटियालाः टवन्टी फर्स्ट सेचुंरी पब्लिकेशन्स।

सोलंकी, आर० (2017). बी०एड० व बी०एस०टी०सी० प्रशिक्षणार्थियो मे मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)

सिंह, डी० (2015). मानव अधिकार, दिल्लीः भारत बुक सेन्टर।

सिंह, आर० एच०, पन्त, पी० एवं लोहानी, एस० (2016). मानवाधिकार शिक्षा और वैश्वीकरण, एशियन जनरल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एण्ड टेक्नॉलिजी, वॉल्यूम 6(1), आई०एस०एस०न०न०: (पी०–2249–7374, ई०–2347–4947) पृष्ट सं. 137–140.

शाह, एम० के० (1991). मानव अधिकार शान्ति और विकास, विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में, अहमदाबादः नवजीवन मुद्रणालय।

शर्मा, आर० ए० (2005). मापन, मल्याकंन एवं सांख्यिकी, प्रकाशकः इन्टरनेशल पब्लिशिगं हाउस।

श्रीवास्तव, डी० एन० (2001). अनुसंधान विधियाँ, आगराः साहित्य प्रकाशन।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies